भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 373

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2017/20 श्रावण 1939 (शक) को दिया गया)

सी॰एस॰आर॰ कोष

***373. श्री विनोद कुमार सोनकरः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी क्षेत्र की कम्पनियों तथा संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जिन्होंने कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के अंतर्गत निधियों का व्यय नहीं किया है;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रम/कम्पनी/संस्थाओं की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध सरकार द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को पी॰एस॰यू॰/निजी कम्पनियों और सी॰एस॰आर॰ के अंतर्गत संस्थाओं द्वारा निधियों के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का पी॰एस॰यू॰/संस्था/कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सी॰एस॰आर॰ निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने तथा इसकी गतिविधियों की निगरानी के लिए किसी समिति/प्राधिकार का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

<u>सीएसआर कोष से संबंधित दिनांक 11 अगस्त, 2017 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 373 के भाग (क) से (ड.) में उल्लिखित विवरण</u>

(क) और (ख): वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर किए गए व्यय का एक विश्लेषण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16
1.	विश्लेषण की गई कुल कंपनियों की संख्या जिनमें से	7334	5097
	(i) सीएसआर व्यय न करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	84	69
	(ii) सीएसआर व्यय न करने वाली प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां	4111	1926

धारा 135 के उपबंधों के अनुसार, जिन कंपनियों ने अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित व्यय नहीं किया है और खर्च न करने के कारण प्रकट नहीं किए हैं, वे अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगी। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2014-15 में 66 कंपनियों पर सीएसआर उपबंधों के उल्लंघन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(8) के अधीन दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी है।

(ग) से (ड.): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(3) और (4) में कार्यकलापों और सीएसआर निधियों के प्रयोग की निगरानी के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति और कंपनी बोर्ड को अधिकार दिया गया है।

*****